2010:सीजीएचसी:12715-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्तिगण श्री प्रशांत कुमार मिश्रा,

विविध अपील क्षतिपूर्ति संख्या 1083/2004

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती सुनीता गिरि एवं अन्य

(और इससे संबंधित विविध अपील संख्या 1304/2004)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

(दिनांक 17/02/2010 निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय न्यायमूर्तिगण श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्तिगण श्री प्रशांत कुमार मिश्रा,

विविध अपील क्षतिपूर्ति संख्या 1083/2004

अपीलकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

प्रतिवादी क्रमांक 3 मेंडेकर कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर चौक,

तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. श्रीमती सुनीता गिरि, आयु लगभग 23 वर्ष,
   पति स्वर्गीय श्री शिवकुमार गिरि,
2. मोहित गिरी, उम्र लगभग 4 वर्ष, पिता
   स्वर्गीय श्री शिवकुमार गिरि,
3. मोनिका गिरी, उम्र लगभग 13 महीने,
   पिता स्वर्गीय शिवकुमार गिरि
   उत्तरवादी संख्या 2 और 3, नाबालिग द्वारा
   उनकी माँ श्रीमती सुनीता गिरि,
4. शिवशंकर गिरि, उम्र लगभग 26 वर्ष,
   पिता श्री मुनिराज गिरि,
   सभी निवासी कारगी रोड, कोटा,पुलिस
   थाना कोटा, तहसील कोटा, जिला
   बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(दावाकर्ता)

5. श्री राम, पिता अशोक कुमार राज,
उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी
तरौद , थाना अकलतरा , जिला
जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
(ट्रक संख्या सीजी 10 ए 1971 का चालक)

6. कैलाश अग्रवाल, आयु ज्ञात नहीं, पिता
ज्ञात नहीं, निवासी मेन रोड,
अकलतरा , जिला जांजगीर -चांपा,
पुलिस थाना अकलतरा (छत्तीसगढ़)
(प्रतिवादी संख्या 1 और 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और

विविध अपील संख्या 1304/2004

अपीलकर्तागण

1. श्रीमती सुनीता गिरि, आयु 23 वर्ष, पति
श्री शिवकुमार गिरि,
2. मोहित गिरी, उम्र लगभग 4 वर्ष, पिता
स्वर्गीय श्री शिवकुमार गिरि,
3. मोनिका गिरी, उम्र लगभग 13 महीने,
पिता स्वर्गीय शिवकुमार गिरि
अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, नाबालिग, द्वारा
उनकी माँ श्रीमती सुनीता गिरि,
4. शिवशंकर गिरि, उम्र लगभग 26 वर्ष,
पिता श्री मुनिराज गिरि,
सभी निवासी कारगी रोड, कोटा, पुलिस

थाना कोटा, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>

1. श्री राम, पिता अशोक कुमार राज, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी तरौद , थाना अकलतरा , जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ट्रक संख्या सीजी 10 ए 1971 का चालक)

2. कैलाश अग्रवाल, आयु ज्ञात नहीं, पिता ज्ञात नहीं, निवासी मेन रोड, अकलतरा , जिला जांजगीर -चांपा, पुलिस थाना अकलतरा (छत्तीसगढ़)
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेडेकर कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर चौक, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपीलें</u>

<u>उपस्थिति:</u>

बीमा कंपनी की ओर से : श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एवं श्रीमती मीरा जायसवाल, अधिवक्ता।

दावेदारों की ओर से : श्री एम.के. भादुड़ी अधिवक्ता ।

मालिक और चालक की ओर से : कोई नहीं।

<u>निर्णय</u>

(17.02.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **<u>न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>** द्वारा पारित किया गया **:-**

(1) ये अपीलें दावा प्रकरण संख्या 17/04 में पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बिलासपुर द्वारा दिनांक 15 सितंबर, 2004 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

(2) बीमा कंपनी द्वारा अपनी देयता और राशि को चुनौती देते हुए विविध अपील संख्या 1083/2004 प्रस्तुत की गई है, जबकि दावेदारों द्वारा प्रतिकर की राशि बढ़ाने के लिए विविध अपील संख्या 1304/2004 प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

दावेदारों, दुर्भाग्यपूर्ण विधवा, नाबालिग बच्चों और मृतक शिवकुमार गिरि के भाई ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए 30,30,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया गया। यह दुर्घटना दिनांक 01.07.2003 को रात लगभग 11.30 बजे हुई थी, जब टैंकर जिसका

पंजीकरण संख्या सी.जी.-04/जी.-1322 था, जिसे मृतक चला रहा था, को तेज और लापरवाही से चलाए गए ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या सी.जी.-10/ए-1971 था के चालक द्वारा टक्कर मार दी थी। यह एक आमने-सामने की सीधी टक्कर थी।

दावेदारों ने तर्क दिया कि मृतक प्रति माह 5,000/- रुपये कमा रहा था और उसे प्रति माह 1,500/- रुपये भत्ते के रूप में भी मिल रहे थे। मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष थी।

ट्रक के मालिक और चालक अनुपस्थित रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ट्रक का बीमाकर्ता, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरें कंपनी लिमिटेड, ने लिखित बयान दायर कर यह तर्क दिया कि दुर्घटना के लिए मृतक स्वयं भी जिम्मेदार था। यह सीधी टक्कर थी और यह सहभागी लापरवाही का मामला था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रक के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं था, इसलिए ट्रक पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था।

चूंकि मालिक और चालक अनुपस्थित रहे, इसलिए बीमा कंपनी को सभी संभावित आधारों पर दावे का विरोध करने की अनुमति दी गई थी।

दावेदारों ने अपनी दावा याचिका के समर्थन में सुनीता गिरी (आ.सा.-1), शिवशंकर (आ.सा.-2), धर्मेंद्र कुमार दुबे (आ.सा.-3) और शंकर सिंह (आ.सा.-4) का परीक्षण किया, जबकि बीमा कंपनी ने खंडन में अब्दुल सलीम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (अना.सा.-1) का परीक्षण किया।

न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष प्रमाणित किया कि यह सहभागी लापरवाही का मामला था। मृतक ने उक्त दुर्घटना में 1/3 भाग और ट्रक के चालक ने 2/3 भाग योगदान दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक 3,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 कटौती करने के बाद आश्रितता 2,000 रुपये प्रति माह और 24,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 24,000 रुपये की उक्त वार्षिक आश्रितता पर 16 का गुणक लगाने पर, प्रतिकर की राशि 3,84,000 रुपये निर्धारित की गई। अन्य शीर्षों के तहत 90,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने पर, प्रतिकर की कुल राशि 4,74,000 रुपये निर्धारित की गई। चूंकि 1/3 : 2/3 के अनुपात में सहभागी लापरवाही का निष्कर्ष प्रमाणित किया गया था, इसलिए, मोटर दुर्घटना में मृतक शिवकुमार गिरि की मृत्यु के कारण दावेदारों को देय प्रतिकर की राशि के

रूप में 3,16,000 रुपये निर्धारित की गई थी। न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि अर्थात दिनांक 12.01.2004 से वसूली तक 9% की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दोषी ट्रक के मालिक, चालक और बीमाकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग दावेदारों को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(4) बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तीन प्रकार के तर्क रखे। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह सीधी टक्कर थी, इसलिए दोनों चालकों की देनदारी ½ : ½ के अनुपात में होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि ट्रक के चालक के पास नकली चालन अनुज्ञप्ति था, इसलिए बीमा कंपनी प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विभिन्न अन्य मदों के तहत 90,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई है जो बहुत अधिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. भादुड़ी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि मृतक की आय का उचित आकलन नहीं किया गया था; कटौती उचित नहीं थी; तथा कम प्रतिकर प्रदान किया गया था।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा दावा मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) सबसे पहले, हम सहभागी लापरवाही के निष्कर्ष की जांच करेंगे।

(8) निस्संदेह, दुर्घटना रात लगभग 11 बजे हुई जब टैंकर, जिसे मृतक चला रहा था, बिलासपुर से रायगढ़ डिस्टिलरीज में माल्ट ले जा रहा था। शंकर सिंह (आ.सा.-4) आबकारी विभाग में हेड कांस्टेबल थे। वह टैंकर में सवार थे क्योंकि उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ माल्ट ले जाने की ड्यूटी थी । उन्होंने गवाही दी कि दुर्घटना के समय मृतक शिवकुमार गिरी टैंकर चला रहे थे। एक ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था जिसकी केवल एक हेडलाइट जल रही थी। दुर्घटना नरियरा गांव के पास हुई । दुर्घटना के लगभग आधे घंटे बाद चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने थाने में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/2) प्रमाणित कराई। प्रतिपरिक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर थी। सड़क काफी चौड़ी है और दोनों वाहन आसानी से सड़क से गुजर सकते थे यह साबित करने के लिए कि दुर्घटना कैसे हुई, किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की गई। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि अपराधी ट्रक केवल एक हेडलाइट जलाकर आ रहा था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए आमने-सामने की टक्कर में टैंकर चालक कम ज़िम्मेदार था और इस प्रकार भार 1/3 : 2/3 के अनुपात में तय किया गया है ।

(9) **<u>आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम के. हेमलता एवं अन्य</u> [<u>(2008) 6 एससीसी 767</u>]** के प्रकरण में , उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "यह तय करने के लिए कि दुर्घटना के होने में किसने योगदान दिया, यह जानना प्रासंगिक हो जाता है कि कौन लापरवाही और बेपरवाही से अपना वाहन चला रहा था और यदि दोनों ऐसा कर रहे थे तो दुर्घटना के लिए कौन अधिक जिम्मेदार था और दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर किसके पास था। यदि नुकसान का बंटवारा करना है, तो यह भी पता लगाना होगा कि वादी की गलती नुकसान के कारणों में से एक थी और एक बार शर्त पूरी हो जाने पर, जिम्मेदारी के हिस्से के अनुसार नुकसान का बंटवारा किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि वादी की ओर से लापरवाही ने भी नुकसान में योगदान दिया है तो नुकसान के आकलन में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसे सहभागी लापरवाही का दोषी तब पाया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है यदि उसे यह आशंका होनी चाहिए थी कि यदि वह एक समझदार व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करता है, तो उसे स्वयं चोट लग सकती है और उसे दूसरों की लापरवाही की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए।"

(10) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सड़क काफी चौड़ी थी और दो वाहन आसानी से पार कर सकते थे, यदि चालक सजग होते, लेकिन यदि वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए और टक्कर सीधी थी, तो निश्चित रूप से, दोनों चालक लापरवाह थे और दोनों ने दुर्घटना में योगदान दिया है। जब टैंकर का चालक ने देखा कि सामने से आ रहे वाहन की केवल एक हेडलाइट जल रही है, तो उसे दुर्घटना से बचने के लिए अपना वाहन रोक देना चाहिए था। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें टैंकर के चालक ने टैंकर रोका हो और फिर उस पर अपराधी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। इसलिए, सहभागी लापरवाही का निष्कर्ष न्यायाधिकरण द्वारा ठीक ही निकाला गया है। बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने, प्रतिकर प्रकरण के कण्डिका-15 का हवाला देते हुए, तर्क दिया कि दोनों वाहनों की केवल एक-एक हेडलाइट जल रही थी, इसलिए दोनों वाहनों के चालक दुर्घटना के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समान रूप से जिम्मेदार थे और योगदान ½ : ½ के अनुपात में था। यह तर्क केवल इस आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है कि अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि टैंकर की भी केवल एक हेडलाइट जल रही थी। हमने उक्त दावे का समर्थन करने वाली सामग्री खोजने के लिए पूरे सबूतों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है लेकिन अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिकर प्रकरण में एक जटिल वाक्य इस तरह लिखा गया है कि यह धारणा बनती है कि टैंकर की भी केवल एक हेडलाइट जल रही थी। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। चूंकि ट्रक के चालक के पास केवल एक हेडलाइट जल रही थी, इसलिए वह टैंकर के चालक से अधिक जिम्मेदार था, जो दुर्घटना से बच सकता था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने इसलिए ठीक ही निर्धारित किया है कि चालकों की देनदारी 1/3 : 2/3 के अनुपात में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) जहां तक नकली चालाक अनुज्ञप्ति के प्रश्न का संबंध है, यह अपने आप में बीमा कंपनी को भार-मुक्त करने का आधार नहीं होगा, यह साबित किए बिना कि बीमित लापरवाही का दोषी था

और उसने पॉलिसी की उस शर्त को पूरा करने के मामले में, कि वाहन एक ऐसे चालक द्वारा चलाया जाए जिसके पास वैध अनुज्ञप्तिधारी चालन हो या जो उस समय चलाने के लिए अयोग्य न हो, उचित देखभाल का प्रयोग करने में विफल रहा। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार बीमा कंपनी पर होता है। केवल चालन अनुज्ञप्ति का अनुपस्थित, नकली या अमान्य होना या चालक की कोई अयोग्यता, अपने आप में बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध ऐसे बचाव नहीं हैं, चाहे वह बीमित के खिलाफ हो या तीसरे पक्ष के खिलाफ | यह **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य [(2004) 3 एससीसी 297**] के प्रकरण में निर्धारित किया गया है , जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 110 के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष प्रमाणित किए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:-

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय **XI**, जो तृतीय-पक्ष जोखिमों के विरुद्ध वाहनों का आज्ञापक बीमा प्रदान करता है, एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है जो मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों

को मुआवज़ा देकर अनुतोष प्रदान करता है। सभी वाहनों के आज्ञापक बीमा कवरेज के प्रावधान इसी सर्वोपरि उद्देश्य से हैं और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके।

(ii) बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-अ या धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 149 (2) (अ) **(ii)** के अनुसार बचाव करने का हकदार है |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) धारा 149 की खण्ड 2 (अ) **(ii)** में निहित पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन जैसे चालक की अयोग्यता या चालक का अवैध चालन अनुज्ञप्ति , बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा किया गया साबित होना चाहिए। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य चालन अनुज्ञप्ति या आकस्मिक समय पर चालन के लिए चालक की अयोग्यता, बीमाकर्ता के लिए बीमाधारक या तीसरे पक्ष के खिलाफ उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के

संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा, जो आकस्मिक समय पर चालन करने के लिए अयोग्य नहीं था।

(iv) हालांकि, बीमा कम्पनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव को स्थापित करना होगा , बल्कि वाहन के स्वामी की ओर से "उल्लंघन" को भी स्थापित करना होगा; इसके लिए सबूत का भार उन पर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) न्यायालय इस बात के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता कि उक्त भार का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) यहाँ तक कि जहाँ बीमाकर्ता, चालक के वैध चालन अनुज्ञप्ति या आकस्मिक अवधि के दौरान वाहन चलाने की उसकी योग्यता से संबंधित पॉलिसी की शर्तों के संबंध में बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम है, वहाँ भी बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चालन अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन इतना मौलिक

न हो कि दुर्घटना के कारण के रूप में पाया जाए। पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या करते समय, न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत बीमाकर्ता को उपलब्ध बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य के नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

(vii) यह प्रश्न कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि चालक द्वारा प्रस्तुत चालन अनुज्ञप्ति (नकली या अन्यथा) कानून की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं, प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(viii) यदि दुर्घटना के समय वाहन को शिक्षार्थी अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति चला रहा था , तो बीमा कम्पनियां डिक्री को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(ix) धारा 168 के साथ पठित धारा 165 के अंतर्गत गठित दावा न्यायाधिकरण को मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में सभी दावों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार है।

न्यायाधिकरण की उक्त शक्ति एक ओर दावेदार या दावेदारों और दूसरी ओर बीमित व्यक्ति, बीमाकर्ता और चालक के बीच दावों का निर्णय करने तक ही सीमित नहीं है। प्रतिकर के दावे का न्यायनिर्णयन करने और बीमाकर्ता के लिए बचाव या बचावों की उपलब्धता का निर्णय करने के दौरान , न्यायाधिकरण के पास बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच विवादों का निर्णय करने की आवश्यक शक्ति और अधिकारिता है। दावेदारों द्वारा प्रतिकर के दावे के न्यायनिर्णयन के दौरान बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच दावों और विवादों पर दिया गया निर्णय और उस पर दिया गया निर्णय उसी तरह लागू करने योग्य और निष्पादन योग्य है जैसा कि अधिनियम की धारा 174 में दावेदारों के पक्ष में निर्णय के प्रवर्तन और निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के निराकरण पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने धारा 149 (2) सहपठित उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार, ऊपर इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए अनुसार, अपना बचाव संतोषजनक रूप से साबित कर

दिया है, न्यायाधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता बीमित द्वारा उस प्रतिकर और अन्य राशियों के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार है, जिसे न्यायाधिकरण के प्रतिकर प्रकरण के तहत तृतीय पक्ष को चुकाने के लिए मजबूर किया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाकर्ता को बीमित से देय पाई गई राशि अधिनियम की धारा 174 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा कलेक्टर को जारी प्रमाण पत्र पर भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली योग्य होगी। प्रमाण पत्र भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली के लिए तभी जारी किया जाएगा यदि, अधिनियम की धारा 168 की उप-धारा (3) के अनुसार आवश्यक है, बीमित न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में प्रदत्त राशि जमा करने में विफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xi) खण्ड (4) तथा उसके अधीन परंतुक और खण्ड (5) में निहित प्रावधान, जिनका उद्देश्य बीमाकर्ता को बीमाकृत व्यक्ति की ओर से बीमा अनुबंध के अंतर्गत भुगतान की गई राशि वसूल करने में सक्षम बनाने के

लिए उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताओं को सम्मिलित करना है, न्यायाधिकरण द्वारा इनका सहारा लिया जा सकता है और बीमाकर्ता के विरुद्ध बीमाकर्ता के दावों और बचावों के लिए उन्हें नियमित न्यायालय के समक्ष उपचार के लिए प्रत्यायोजित करके उन मामलों में विस्तारित किया जा सकता है, जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उनके दावों के पारस्परिक न्यायनिर्णयन से पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन में देरी हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) वर्तमान में, अब्दुल सलीम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (अना.सा. -1) ने बयान दिया कि चालक श्रीराम के चालन अनुज्ञप्ति को अन्वेषक श्री राज तिलक सक्सेना के द्वारा सत्यापित किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि चालन अनुज्ञप्ति नंबर आर/6603/ झांसी /86 झांसी , आरटीओ से जारी नहीं किया गया था क्योंकि ऐसी रिपोर्ट अन्वेषक को संबंधित आरटीओ से प्राप्त हुई थी। अन्वेषक की रिपोर्ट प्रदर्श-डी/2 के रूप में दायर की गई है और झांसी , आरटीओ की रिपोर्ट प्रदर्श-डी/3 के रूप में दायर की गई है। हम देखते हैं कि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति की प्रति न्यायाधिकरण के समक्ष दायर नहीं की गई है। हम यह पता

लगाने में असमर्थ हैं कि बीमा कंपनी को उपरोक्त नंबर कहां से मिला। अना.सा. -1 ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं पता कि मामले में चालक के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है या नहीं। वह विधिवत चालन अनुज्ञप्तिधारी चालक या संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य न होने वाले चालक द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने में उचित सावधानी बरतने में विफल रहे। इसलिए, इस संबंध में तर्क मान्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अब हम प्रतिकर की राशि से संबंधित तर्क पर विचार करेंगे।

(14) जहां तक मृतक की आय का संबंध है, दावेदारों ने तर्क दिया कि वह 5,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था और उसे 1,500 रुपये प्रति माह की दर से भत्ते भी मिल रहे थे, लेकिन इस संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं थे। नियोक्ता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति मृतक की ऐसी आय साबित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। मृतक की पत्नी और भाई की ओर से केवल मौखिक साक्ष्य हैं कि मृतक 5,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था और उसे भत्ते भी मिल रहे थे। इस स्थिति में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही मृतक की आय की गणना उसे एक कुशल

श्रमिक मानते हुए की जाए, यह 100 रुपये प्रतिदिन और 3,000 रुपये प्रति माह आएगी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृतक की आय का आकलन करने के लिए न्यायाधिकरण के इस वाद-विषय में हमें कोई दोष नहीं लगता । न्यायाधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए केवल 1/3" की कटौती की है जो **सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील और अन्य, [(2009) 2 एससीसी 225]** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उचित प्रतीत होता है , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक की आय से कटौती के संबंध में सामान्य नियम 50% है, यदि वह अविवाहित है और एक तिहाई यदि वह विवाहित है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कटौती गलत थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) जहां तक गुणक का संबंध है, निर्विवाद रूप से, शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/3) के आधार पर मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष थी। उसकी पत्नी 23 वर्ष की आयु की थी और उसके दो नाबालिग बच्चे मोहित गिरी (पुत्र) और मोनिका गिरी (पुत्री) लगभग 4 वर्ष और 13 माह की आयु की थीं, इसलिए 16 का गुणक भी उचित प्रतीत होता है। हालांकि, प्रतिकर, प्रकरण के कण्डिका-29 के तहत प्रदान की गई 90,000/- रुपये की राशि,

अन्य मदों के तहत काफी अनुचित प्रतीत होती है। न्यायाधिकरण ने दावेदार 1 से 3 को प्रेम और स्नेह के मद में 25,000/- रुपये प्रत्येक और दावेदार संख्या 4 को उसी मद में 5,000/- रुपये प्रदान किए हैं और अंतिम संस्कार खर्च के लिए 10,000/- रुपये और प्रदान किए हैं। हम प्रतिकर, प्रकरण के इस भाग को अपास्त करते हैं। हम न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त 3,84,000/- रुपये की राशि के ऊपर अन्य स्वीकार्य मदों के तहत 16,000/- रुपये प्रदान करना उचित समझते हैं।

(16) इसलिए, प्रतिकर की राशि की पुनर्गणना इस प्रकार की गई है:- 24,000/- रुपये की वार्षिक निर्भरता को 16 से गुणा करने पर 3,84,000/- रुपये प्राप्त होते हैं। अन्य अनुमेय मदों में 16,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने पर, प्रतिकर की कुल राशि 4,00,000/- रुपये हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) चूँकि हमने सहभागी लापरवाही के निष्कर्ष की पुष्टि की है, जिसमें मृतक को एक-तिहाई तक उत्तरदायी ठहराया गया था ' इसलिए, कुल 4,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि में से एक-तिहाई अर्थात् 1,33,000/- रुपये घटाने के बाद, दावेदारों को देय क्षतिपूर्ति राशि 2,67,000/- रुपये होती है। इस प्रकार, दावेदार, मोटर दुर्घटना में मृतक शिवकुमार गिरि की मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति राशि के रूप में

2,67,000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार होंगे। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के हित पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

(18) उपरोक्त कारणों से, दावेदारों द्वारा प्रतिकर की राशि में वृद्धि के लिए दायर विविध अपील संख्या 1304/2004 खारिज की जाती है और बीमा कंपनी द्वारा दायर विविध अपील संख्या 1083/2004 को ऊपर बताए गए सीमित स्तर तक स्वीकार किया जाता है।

(19) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS